



2026:AHC:24280-DB

उच्च न्यायालय, इलाहाबाद

अपराधिक विविध रिट याचिका संख्या – 1635/2026

अकील

अहमद

..... याचिकाकर्ता

बनाम

उत्तर	प्रदेश	राज्य	एवं	4	अन्य
..... प्रतिवादी					

याचिकाकर्ता के अधिवक्ता : मधु रंजन पाण्डेय

प्रतिवादी के अधिवक्ता : शासकीय अधिवक्ता

न्यायालय संख्या - 45

माननीय राजीव गुप्ता, न्यायमूर्ति

माननीय अचल सचदेव, न्यायमूर्ति

1. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता, राज्य के विद्वान शासकीय अधिवक्ता को सुना गया तथा रिकॉर्ड का परिशीलन किया गया।
2. प्रस्तुत रिट याचिका में दिनांक 01.01.2026 की प्रथम सूचना रिपोर्ट को निरस्त करने की मांग की गई है, जिससे पुलिस स्टेशन- कोतवाली, जनपद- पीलीभीत में केस अपराध संख्या 0001 वर्ष 2026, उत्तर प्रदेश गिरोहबंद अधिनियम की धारा 2/3 के तहत मामला उत्पन्न हुआ है।
3. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने तर्क दिया है कि प्रथम सूचना रिपोर्ट में लगाए गए आरोपों से, प्रथम दृष्टया याचिकाकर्ता के विरुद्ध कोई भी शिकायत योग्य अपराध प्रकट नहीं होता है और इस प्रकार, प्रस्तुत प्रथम सूचना रिपोर्ट निरस्त किए जाने योग्य है।
4. इसके विपरीत, विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता ने यह निवेदन किया है कि प्रथम सूचना रिपोर्ट में लगाए गए आरोपों से, याचिकाकर्ता के विरुद्ध प्रथम दृष्टया वह अपराध स्पष्ट रूप से प्रकट होता है जिसकी शिकायत की गई है, और इस प्रकार, प्रथम सूचना रिपोर्ट को उच्चतम न्यायालय द्वारा स्टेट ऑफ तेलंगाना बनाम हबीब अब्दुल्ला जिलानी, (2017) 2 एस.सी.सी. 779, नीहारिका इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड बनाम महाराष्ट्र राज्य एवं अन्य, (2021) एस.सी.सी. ऑनलाइन एस.सी. 315 के मामले में निर्धारित विधि के आलोक में तथा माननीय शीर्ष अदालत के एक हालिया निर्णय, आपराधिक अपील संख्या 843/2024, प्रवर्तन निदेशालय बनाम नीरज त्यागी एवं अन्य के दृष्टिगत निरस्त नहीं किया जा सकता है।
5. पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओं द्वारा दिए गए विरोधी तर्कों पर विचार करने के उपरांत और प्रथम सूचना रिपोर्ट में लगाए गए आरोपों, विद्वान शासकीय अधिवक्ता द्वारा उद्धृत प्रासंगिक कानून तथा

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि आक्षेपित प्रथम सूचना रिपोर्ट संज्ञेय अपराध प्रकट करती है, हमारी यह राय है कि आक्षेपित प्रथम सूचना रिपोर्ट को निरस्त नहीं किया जा सकता।

6. अतः प्रथम सूचना रिपोर्ट को निरस्त करने की प्रार्थना अस्वीकार की जाती है।

7. हालांकि, यदि याचिकाकर्ता उचित न्यायालय के समक्ष अग्रिम/नियमित जमानत के लिए आवेदन दायर करता है, तो उसके जमानत आवेदन पर कानून के अनुसार यथासंभव शीघ्रता से विचार कर निस्तारण किया जाए।

8. इन टिप्पणियों के साथ, प्रस्तुत रिट याचिका निस्तारित की जाती है।

4 फरवरी, 2026

के.यू.

(अचल सचदेव, न्यायमूर्ति) (राजीव गुप्ता, न्यायमूर्ति)

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"